

मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर संवाद किया

भाजपा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में हर बूथ को मजबूत करें : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सीकर, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीकर के फतेहपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की सफलता के पीछे सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ताओं का परिश्रम, संगठन के प्रति निष्ठा और जनता से निरंतर संपर्क रहा है। अब हमारा लक्ष्य पंचायत चुनाव है। हमें गांव-गांव तक विकास, सुशासन और जनकल्याण के संदेश को पहुंचाना है और बड़ी जीत हासिल करनी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में कुल 204 निकायों में बोर बनाए हैं। जयपुर संभाग सहित पूरे प्रदेश के निकायों के परिणाम ऐतिहासिक रहे हैं। चुरू में 9, झुंझुनूं में 8 और सीकर में 5 निकायों में बीजेपी के बोर्ड बने हैं। यह जनादेश डबल इंजन सरकार के कामों के प्रति जनता के समर्थन को दिखाता है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में हमारे कार्यकर्ताओं ने यह साबित किया कि भाजपा का संगठन केवल चुनाव



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए।

के समय तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि निरंतर जनता के बीच सक्रिय रहता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिक देवो भव, भावना से कार्य करते हुए सीकर, झुंझुनूं, चुरू सहित सभी जिलों में

विकास को गति देते हुए जनकल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आव्हान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकारों की गरीब, किसान, युवा, महिला और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर यह विश्वास पैदा करना है कि भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के बाद भी उनके साथ खड़ा रहेगा। पंचायत चुनाव में बुध हमारा आधार और बूथ कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर बुथ मजबूत,

■ 'हमें गांव-गांव तक विकास, सुशासन और जनकल्याण के संदेश को पहुंचाना है और पंचायत चुनाव बड़ी जीत हासिल करनी है'

हर गांव तक संपर्क और हर परिवार तक संवाद, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें नए मतदाताओं, युवाओं, महिलाओं और पहली बार राजनीति से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना है। पंचायत स्तर पर संगठन विवरण मजबूत होगा, भाजपा की जड़ें उतनी ही गहरी होंगी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

झुंझुनूं के ज्वैलरी शोरूम में लूट एवं फायरिंग के आरोपी को आजीवन कारावास

अजमेर, (निसं)। हाई सिक्वोरिटी जेल अजमेर में निरुद्ध बंदी योगेश कुमार को झुंझुनूं के बहुचर्चित ज्वैलरी शोरूम लूट एवं फायरिंग प्रकरण में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी योगेश कुमार निवासी चारणवासी, झुंझुनूं को इससे पहले भी चार अन्य आपराधिक मामलों में सजा हो चुकी है। वर्तमान में वह हाई सिक्वोरिटी जेल अजमेर में निरुद्ध है।

हाई सिक्वोरिटी जेल अजमेर के अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-2, झुंझुनूं के न्यायालय ने 30 सितंबर को सत्र प्रकरण में योगेश कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषीसिद्ध किया। यह मामला वर्ष 2019 में झुंझुनूं के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। अदालत ने भारतीय

- आरोपी योगेश कुमार को इससे पहले भी चार अन्य आपराधिक मामलों में सजा हो चुकी है। वर्तमान में वह हाई सिक्वोरिटी जेल अजमेर में निरुद्ध है
- आठवीं कक्षा तक शिक्षित योगेश कुमार जेल में रहते हुए 'जेल में ब्रांडेड कफन' नामक पुस्तक लिखने के कारण भी चर्चा में रहा है

दंड संहिता की धारा 396 के तहत योगेश को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 395 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि धारा 450 एवं 397 में सात-सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार धारा 120-

बी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय ने सभी मूल सजाएं एक साथ चलाने के आदेश दिए हैं। योगेश कुमार जेल में रहते हुए जेल में ब्रांडेड कफन नामक

पुस्तक लिखने के कारण भी चर्चा में रहा है। अधीक्षक पारस जांगिड़ के अनुसार आठवीं कक्षा तक शिक्षित योगेश ने जेल में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर यह पुस्तक लिखी थी। इसमें उसने जेल जीवन, अपराध जगत और गैंग संस्कृति से जुड़े अपने अनुभवों एवं विचारों को शामिल किया है। पुस्तक के डिजिटल रूप में प्रकाशित होने के बाद यह चर्चा में आई थी। जांगिड़ ने बताया कि योगेश पहले से ही चार अन्य मामलों में सजायाफ्ता होकर हाई सिक्वोरिटी जेल अजमेर में सजा भुगत रहा है। अब झुंझुनूं के लूट एवं फायरिंग प्रकरण में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा का वना वाट भी जेल प्रशासन को प्राप्त हो गया है।

बांसवाड़ा में पांच हजार की रिश्वत लेते वनरक्षक गिरफ्तार

बांसवाड़ा/जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जिला इकाई ने वन रेंज गढ़ी वन नाका तथा अशोक भूषेण पाटीदार को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रहे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि परिव्रादी ने एसीबी को शिकायत दी कि वन विभाग के परिक्षेत्र के बाहरी क्षेत्र की वन भूमि पर वन कापी समय से काबिज होकर कृषि कार्य करता आ रहा था। उक्त भूमि के पट्टे के लिये वन विभागी की ओर से सत्यापन कर पत्रावली दी जा रही थी। उक्त पट्टा पत्रावली को आगे बढ़ाने व वन पट्टा पत्रावली देने के लिये रिश्वत की मांग की जा रही है। जिस पर 30 सितम्बर को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी वनरक्षक भूषेण पाटीदार परिव्रादी की पट्टा फाईल देने की एवम में मोबाइल वार्ता के दौरान 6 हजार रुपये की मांग कर रहा था। परिव्रादी के निवेदन करने

- पट्टा पत्रावली को आगे बढ़ाने व वन पट्टा पत्रावली देने के लिये रिश्वत मांगी

पर 5 हजार रुपये की राशि देने के लिये सहमति बनी। जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एसीबी पुलिस उप अधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में मय टीम ने ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी भूषेण पाटीदार को 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि परिव्रादी से ग्रहण करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी के परिवजन की तरफ से नागौरी गेट थाने के स्टाफ रायचंद सहित अन्य के खिलाफ हत्या, मारपीट और लज्जा भंग में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में घर में घुसकर मारपीट का आरोप है। शव फिलहाल एमजीएच मोचंरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पतालासा हो पाएगा। बताया गया कि घटना के समय मृतक बिजली तारों पर गिरा था। सीसीटीवी फुटेज के बारे में फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है।

धौलपुर में अवैध हथियार सहित हिस्ट्रीशीटर को दबोचा किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था आरोपी

धौलपुर, (निसं)। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध हथियारों सहित हिस्ट्रीशीटर नहने उर्फ अनारसिंह को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में थानाधिकारी घनश्याम उप निरीक्षक के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई की। सोने का गुर्जा धाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सरमथुरा रोड पर गांव खाने का पुरा रोड पर एक व्यक्ति को घूमते हुए देखा। पुलिस ने घेराबंदी कर थाना आंगई के हिस्ट्रीशीटर अपराधी नहने उर्फ अनारसिंह गुर्जर निवासी बरहाना थाना आंगई जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देशी कल 315 बोर, 10 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की

फिराक में घूम रहा था। गिरफ्तार आरोपी थाना आंगई का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिस पर एक दर्जन के करीब मारपीट, नकबजनी, चोरी, लूट, बलात्कार, अपहरण और अवैध हथियार रखने के प्रकरण जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपी शास्तिर अपराधी है जो अपराध करने के पश्चात फरारी काटने के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात भाग जाता है। कुछ दिन पूर्व ही आरोपी ने गांव कहरपुरा में रात्रि के समय अचानक फायरिंग की घटना कर दहशत फैलाई थी। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य घटनाओं के खुलासे होने की संभावना है।

शराब परिवहन मामले में तीन गिरफ्तार : टोंक में निवाई थानाधिकारी घासीराम के नेतृत्व में गठित थाना टीमों निवाई के ग्राम केरोड से अवैध हथकड़ शराब का परिवहन करते हुए हेमा चन्नी रामअवतार साँसी निवासी रैगरो की ढाणी, जुगलपुरा को गिरफ्तार कर दो



धौलपुर पुलिस ने हथियारों सहित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया।

लीटर अवैध हथकड़ शराब जप्त की गई। इसी क्रम में अन्य थाना टीम ने रेल्वे क्रॉसिंग के पास नला रोड कच्ची बस्ती कोछ्या की ढाणी निवाई से अवैध देशी शराब परिवहन करते हुए आरोपी बिन्दु माली पुत्र कालूराम को गिरफ्तार किया

कार की डिलीवरी के नाम पर तीन लाख ठगे

अजमेर, (निसं)। कार की डिलीवरी देने के नाम पर करीब तीन लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में जयपुर निवासी टीकम चंद बोहरा ने अजमेर कोतवाली थाने में एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता की एक युवक से कार

की डिलीवरी को लेकर बातचीत हुई थी। आरोपी युवक ने कार की डिलीवरी देने की बात कहते हुए उसके बैंक खाते में करीब तीन लाख रुपए जमा करवाए। रकम जमा कराने के बाद कार की डिलीवरी नहीं होने पर शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी का संदेह हुआ। इसके बाद उसने अजमेर कोतवाली थाने

पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक जोधपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अब बैंक खाते में जमा कराई गई रकम, लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों और आरोपी से संबंधित अन्य जानकारी को जांच कर रही है।

हादसे में बाइक सवार की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के निकटवर्ती मथानिया स्थित किरमसरिया गांव की सरहद में अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, मगर अस्पताल में उपचार के बीच उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कार्रवाई के उपरांत परिजन के सुपुर्द किया। वहीं नपुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है।

मथानिया पुलिस ने बताया कि जंभेश्वर नगर करलानाडा भीकमकोर निवासी गोमदराम अपनी बाइक लेकर किरमसरिया गांव की सरहद से निकल रहा था। तब किसी वाहन चालक ने चपेट में ले लिया।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया, मगर बाद में उसकी मौत हो गई। मथानिया पुलिस अब अज्ञात वाहन चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक की दबकर मौत

भरतपुर, (निसं)। सेवर थाना क्षेत्र में लुधावाई के पास बुधवार देर रात सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। खेत से ट्रैक्टर-ट्रॉली में चारा लेकर लौट रहे व्यक्ति की ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से आए एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई और राजवीर उसके नीचे दब गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद राजवीर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हादसे में शामिल ट्रक को पुलिस ने जप्त कर लिया है। एएसआई राधाकृष्ण ने बताया कि फिलहाल मामले में मृतक के परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

को ओर से भरतपुर की तरफ आ रहा था। लुधावाई के पास पीछे से आए यूपी नंबर के ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई और राजवीर उसके नीचे दब गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद राजवीर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हादसे में शामिल ट्रक को पुलिस ने जप्त कर लिया है। एएसआई राधाकृष्ण ने बताया कि फिलहाल मामले में मृतक के परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।

जोधपुर में पुलिस कार्रवाई के दौरान तीसरी मंजिल से कूदा वांटेड युवक, मौत

नागौरी गेट थाना पुलिस कर्मियों पर हत्या, मारपीट आदि का केस दर्ज

जोधपुर, (कासं)। शहर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में गायां की फाटक के पास में बुधवार रात को तीसरी मंजिल से कूदने से एक वांटेड युवक की मौत हो गई। युवक को पकड़ने पुलिस उसके घर गई थी। वहां युवक डर के मारे तीन मंजिला मकान की छत पर पहुंच गया और वहां से कूदकर भागने का प्रयास किया। इस हादसे में विद्युत तारों की चपेट में आ गया और नीचे गिरने से घायल हो गया। उसे महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

युवक की मौत को लेकर समाज की तरफ से देर रात तक एमजीएच इमरजेंसी के बाहर धरना देकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। शव बाद में एमजीएच को मोचंरी में रखवाया गया। घटना को लेकर देर रात तक समाज के लोगों और पुलिस के बीच में समझाझप चलती रही। परिजन ने सरकारी नौकरी, मुआवजा और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। सुबह परिजन और समाज के लोग एमजीएच

- युवक को पकड़ने पुलिस उसके घर गई थी, डर के मारे युवक तीन मंजिला मकान की छत पर पहुंच गया और वहां से कूदकर भागने का प्रयास किया
- परिजनों ने सरकारी नौकरी, मुआवजा और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

मोचंरी पर एकर रहे। पुलिस के आलाधिकारियों के साथ फिर से वार्ता की गई मगर समाधान नहीं निकल पाया। परिजन ने दर्ज कराई हत्या, मारपीट और लज्जा भंग में रिपोर्ट :-मृतक के परिजन की तरफ से नागौरी गेट थाने के स्टाफ रायचंद सहित अन्य के खिलाफ हत्या, मारपीट और लज्जा भंग में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में घर में घुसकर मारपीट का आरोप है। शव फिलहाल एमजीएच मोचंरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पतालासा हो पाएगा। बताया गया कि घटना के समय मृतक बिजली तारों पर गिरा था। सीसीटीवी फुटेज के बारे में फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है।

मुआवजा और अन्य मांगों पर अड़े मृतक के परिजन और समाज के लोग मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं। यह है मामला :-बुधवार की रात गायां की फाटक के पास रहने वाले सद्दाम पुत्र खलील को किसी मामले में पकड़ने के लिए नागौरी गेट पुलिस उसके घर गई थी। परिजनों का आरोप है कि उनके जबरन पकड़ कर ले जा रही थी। परिवार वालों ने कहा कि अभी आप चले जाओ और सुबह हम उसको पेश कर देंगे। लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस से घबराकर सद्दाम छत पर चढ़ गया। पुलिस भी उस के पीछे ऊपर गई। गिरफ्तारी के

डर से घबराकर वह तीन मंजिला घर से कूद गया और बिजली के तारों पर गिर गया। इसके बाद फिर जमीन पर गिरा। हादसे के बाद पुलिस की गाड़ी को भीड़ ने नुकसान पहुंचाया। वहां घायल सद्दाम को लोग महात्मा गांधी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। उसके निधन पर वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देश शरम तक परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी था। परिजनों ने मांग रखी है कि परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता मिले, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए, नागौरी गेट थाने के स्टाफ को बर्खास्त किया जाए, मृतक के परिवार को पुलिस सुखा दी जाए और कोई झुठा मामला दर्ज न हो, मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाई जाए, पुलिस किसी भी व्यक्ति या परिवार के सदस्य पर मुकदमा दर्ज नहीं करे और न ही परेशान करे। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए मामले को अत्यंत दुखद और गंभीर बताया है।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना स्थित विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। पॉक्सो न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी कैलाश कटारिया को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोक्ता वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि यह मामला 12 अप्रैल 2025 में कुचामन सिटी पुलिस थाना में दर्ज हुआ था। मामले में नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कैलाश कटारिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कैलाश कटारिया को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोक्ता पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कुल 32 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा अभियोक्ता पक्ष की ओर से 18 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी कैलाश कटारिया को दोषी ठहराया।

- आरोपी पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

न्यायालय ने आरोपी कैलाश कटारिया को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (3)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 137 (2) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 127 (2) के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 351 (2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी धाराओं में कुल 61 हजार का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार जुमाने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोक्ता वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने अभियोक्ता पक्ष की पैरवी की। वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र पुरी ने न्यायालय में पक्ष रखा।

**राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड**
कर्पोरेशन मुख्य अभियंता (पीपीवी एंड टीडी), सतल तल, जौनपुरी, एल.आई.सी. भवन, बालकोट, जयपुर

ई-निविदा सूचना: TN-02(RVU2627SLOB01359)
रा.रा.वि.उ.नि. के ऊर्जा संचयन की ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो से प्रमाणित ऊर्जा संपरीक्षक कर्मों से अनिवार्य एवं विस्तृत उर्जा लेखा संपरीक्षा करवाने हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in (ई-निविदा हेतु), www.energy.raajasthan.gov.in/rvunl एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
राज.संवाद/सी/26/11080 RVUN/PR-4481 अधीक्षण अभियंता (पीपी एंड टी सेल)

**राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड**

बोली आमंत्रण सूचना
132 केवी 3 फेज एस / सी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण, परीक्षण एवं कमीशनिंग कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह कार्य डीडवाना ट्रेडशन सबस्टेशन से प्रस्तावित 132 केवी जीएएसए सवॉसा लाइन क (लगभग 18 किमी) भ्रम अनुबंध पर स्लेट डिपॉजिट कार्य के अंतर्गत किया जाना है। यह निविदाएं इच्छुक बोलीदाताओं से विनिर्देश संख्या RVPN/EHV/BN-9018002615 और VPN2627WSOB01536 के विरुद्ध दिनांक 22.10.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।
बिड के अन्य विवरण खरीद पोर्टल पर देखे जा सकते हैं (<http://eproc.raajasthan.gov.in>, <http://sppp.raajasthan.gov.in> एवं www.energy.raajasthan.gov.in/rvnl1)
अधीक्षण अभियंता (कॉन्ट्रैक्स-1), जयपुर
राज.संवाद/सी/26/11076 रा.रा.वि.प्र.नि./TR-7823/2026

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
WATER RESOURCES ZONE KOTA

क्रमांक-F.159/CEWRZ/JWR/e-NIB-15/2026-27/12540 दिनांक-24.09.2026
e-NIB No.- 15/2026-27
Bids for "Construction of post office building, Sports Ground, Buried Ground, Internal roads with Drains and additional no of Anganwadi, Community Building, & Temple for displaced people at Rehabilitation & Resettlement Colony, Village - Chhatarpura, Gram Panchayat-Dadaha, Tehsil Aar, District Baran, under the Panwan Major Irrigation Project" (Est. Cost Rs 3205.98 Lac) including GST @18% is invited from interested eligible bidders from 28.09.2026 (9:30 Hr) to 21.10.2026 till 18:00 Hr. other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal. <https://eproc.raajasthan.gov.in>, <https://sppp.raajasthan.gov.in>, www.dipr.raajasthan.gov.in, www.water.raajasthan.gov.in.
UBN No. WRD2627WL0B00707 Chief Engineer
Water Resources Zone, Kota

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Email ID:dcffhalawar1967@gmail.com,Phone No.07432-232230 दिनांक : 28.9.26
क्रमांक एफ (1) स्टोर/उपस/2026-27/11012
अल्पकालिन खुली ई-निविदा सूचना संख्या 40/2026-27
इस कार्यलय के अधीन रेंज डग में स्थित नगर वन अज्ञान कृषिपरिषद् में केनेलिक फैसिंग के आधार के लिए 2000 Rimt लंबाई और 0.45 मीटर ऊंचाई वाली साइडी वॉल का निर्माण (अनुमानित लागत 43,52,793/- रुपये) को सम्पादित करने हेतु निविदाएं प्रारम्भ श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से दिनांक 05.10.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदा एवं संविदा की शर्तें मय विवरण कार्यालय समय में इस कार्यालय में एवं <http://eproc.raajasthan.gov.in>, www.sppp.raaj.nic.in साईट पर देखी जा सकती है।
NIB No. FOR2627A1901
UBN No. FOR2627WSOB02808
E-Proc Tender ID 2026_EORES_601505.1 (सागर पंवार IFS)
उप वन संरक्षक झालावाड़

**जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**
कार्यालय अवरक्षक अभियंता (PMSG) पुराना पुराव हाऊस, बनीयाक, जयपुर, ईमेल sepmasuryaghar@jvnnl.org

ई-निविदा सूचना
पात्र बोलीदाताओं से जयपुर डिस्कॉ में प्रथमामी सूर्य घर: मूलतः बिजली योजना के अंतर्गत पेट्रोलिटी-नेतृत्वित एपीओशन (केपेस) मॉडल के माध्यम से ग्रिड-संयोजित स्टाफ्टी सोलर संचयन हेतु 3,500 उपभोक्ताओं पर नेट मीटरिंग आधारित सौर संचयन के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग तथा 5 वर्ष के संचालन एवं अवरक्षण (O&M) के साथ अतिरिक्त 5 वर्ष के O&M कार्य के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से द्वि-भागीय ई-निविदाएं (टेकनो-कमर्शियल बोली एवं वित्तीय बोली) आमंत्रित की जाती हैं। (UBIN: VVN2627WSOB00533) इच्छुक बोलीदाता दिनांक 01.10.2026 से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> से निविदा दस्तावेजों का पूर्ण सेट डाउनलोड कर सकते हैं। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 14.10.2026 को सायं 05:00 बजे तक है। कार्य, निविदा सूचना एवं तकनीकी विशिष्टताओं संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु <http://www.eproc.raajasthan.gov.in>, <http://www.sppp.raajasthan.gov.in> तथा www.energy.raajasthan.gov.in/jvnnl वेबसाइटों का अवलोकन किया जा सकता है।
राज.संवाद/सी/26/11084 औडिटर-3241 (2026) अधीक्षण अभियंता (पीएम सूर्य घर)
बिजली विभागों के लिए टेंडर प्रिन नंबर 1800 180 8507

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
न. नं. एल.आई.सी. भवन, बालकोट, जयपुर
उप नं. 0941-2700459, E-Mail: RAJMSMA.CIVIL@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक :- F-5(1)(323)RCSCC/Civil/NI 2026-27/D-4046 दिनांक :- 29/09/2026
CORRIGENDUM
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 12 (सिविल)/2026-27
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा, राजस्थान की ओर से राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धराजकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों से समग्र शिक्षा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2021-2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2025-26 (Supplementary), राज्य मंत्र 2025-26, लेखानुदान की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 (Phase-I, II, III, IV, V, VI, VII) एवं पी.एम. श्री. वर्ष 2025-26, नाबार्ड RAUF XXVII, जी.एम.एफ.टी. एम.एल.ए. लेड, इत्यादि योजनामन्तर्गत स्वीकृत 167 राजकीय विद्यालय/केजीबीबी में डाईनिंग हॉल के निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु ई-निविदा सूचना सं. 12 (सिविल)/2026-27 का प्रकाशन करवाया गया था। जिसमें निम्नानुसार संशोधन है:-
निविदा की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

क्र.	प्रकाशित निविदा के अनुसार	संशोधन उपरांत निम्नानुसार पढ़ा जावे
1	क्र. सं. 15 पर विद्यालय का नाम GUPS KRISHAN NAGAR,KALAN एवं यू.-डाईस कोड 8150119901 के अन्तर्गत पर	विद्यालय का नाम GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL,KALYAN SINGH KI SIDDI एवं यू.-डाईस कोड 8150140404 पढ़ा जावे।
2	उक्त प्रकाशित ई निविदा में निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 04.10.2026 को सायं 06.00 बजे तक एवं निविदा खोलने जाने की दिनांक 05.10.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे थी।	उक्त ई निविदा में संशोधन उपरांत निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 06.10.2026 को सायं 06.00 बजे तक एवं निविदा खोलने जाने की दिनांक 07.10.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे एवं तक पढ़ा जावे।

UBN No.- RSE2627WSOB01381 राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा
राज.संवाद/सी/26/11097

**जयपुर विकास प्राधिकरण**
इन्दिरा संकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक :- जविष्ठा/अधि.अभि. (विद्युत-चतुर्थी) जोब नं.188-2026-27/डी-1161 दिनांक :- 30.09.2026
निविदा सूचना
निविदा सूचना : जविष्ठा-11/2